भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1734

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिज

†1734. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत उन महत्वपूर्ण खनिजों की शोधन और प्रसंस्करण क्षमता के मामले में चीन (विश्व का सबसे प्रभावशाली देश) से बहुत पीछे है जिनका स्वदेशी रूप से खनन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जापान, अमरीका और आस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों के साथ महत्वपूर्ण खनिज द्विपक्षीय भागीदारी बनाने के लिए हाल ही में हस्ताक्षरित खनिज सुरक्षा भागीदारी से आगे बढ़कर सक्रिय रूप से उपाय कर रही है;

(ग) क्या भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में मे से एक है जहां अत्यधिक विनियमन होने के कारण महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और निष्कर्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिज नीति लाने के लिए उपाय कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ङ): यद्यपि, भारत लिथियम, कोबाल्ट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख प्लेयर नहीं रहा है, तथापि भारत महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और प्रसंस्करण में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कार्य करता रहा है।

खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू गवेषण और नीलामी के लिए संसाधन संपन्न देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

भारतीय घरेलू बाजार को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के उद्देश्य से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उद्यमों अर्थात नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के इक्विटी अंशदान से एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) को बनाया गया है। ।

वर्तमान में काबिल इन महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली में लिथियम (Li) और कोबाल्ट (Co) जैसी विदेशी महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के अवसर तलाश रहा है।

खान मंत्रालय संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी) में शामिल हो गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य संसाधन संपन्न देशों में इन खनिजों के चिन्हित ब्लॉकों में निवेश की सुविधा प्रदान करके सदस्य देशों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने में सहयोग बढ़ाना है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में महत्वपूर्ण खनिजों या उनके निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता कुछ भौगोलिक स्थानों पर केंद्रित है जिससे इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला भेद्य हो सकती है और यहां तक कि आपूर्ति में व्यवधान हो सकता है, केंद्र सरकार ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया है।

उक्त संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार को एमएमडीआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के नए भाग-घ में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण खनिजों जिनमें कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, टैंटलम, टाइटेनियम आदि जैसे खनिज शामिल हैं, के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और संयुक्त लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। उक्त संशोधन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और खनन में वृद्धि करना तथा उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा इत्यादि सहित कई क्षेत्रों की उन्नति के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। ये कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था, और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन को शक्ति देने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं जो 2070 तक भारत की 'निवल शून्य' प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आवश्यक होंगी।

केंद्र सरकार ने दिनांक 29.11.2023 को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के 20 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की पहली श्रृंखला शुरू की है, जिसमें लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व, प्लैटिनम समूह के खनिज, निकल, पोटाश आदि के ब्लॉक शामिल हैं। इन ब्लॉकों की नीलामी का उद्देश्य इन खनिजों की स्थिर आपूर्ति सृजित करना है, इस प्रकार आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और अधिक सुरक्षित एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित होगी।ब्लॉकों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की नीलामी से कई प्रमुख लाभ मिलते हैं जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना, स्थायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना, खनन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और भारत की औद्योगिक एवं तकनीकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख उद्योगों का विकास शामिल है। यह इन खनिजों की एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने और 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दिशा में एक कदम है तथा वर्धित आर्थिक विकास में योगदान देता है।

सतही या थोक खनिजों की तुलना में कोबाल्ट, लिथियम, निकल, सोना, चांदी, तांबा जैसे महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों का पता लगाना और खनन करना कठिन है। देश अधिकतर इन खनिजों के आयात पर निर्भर है। इन खनिजों का गवेषण बढ़ाने के लिए, 29 सामरिक और गभीरस्थ खनिजों के लिए एक नई खनिज रियायत अर्थात गवेषण लाइसेंस की शुरूआत की गई है। नीलामी के माध्यम से दिया गया गवेषण लाइसेंस लाइसेंसधारक को एमएमडीआर अधिनियम की नई अंतर्विष्ट सातवीं अनुसूची में उल्लिखित महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण प्रचालन करने की अनुमति देगा।

एक सक्षम तंत्र बनाने के लिए गवेषण लाइसेंस प्रत्याशित है जिसमें छोटी-छोटी खनन कंपनियां गवेषण के और खनन क्षेत्र में पूरे विश्व से विशेषज्ञता लाएंगी और विशेषज्ञता एवं नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से गभीरस्थ खनिज निक्षेपों की खोज में जोखिम लेने की क्षमता का लाभ उठाएंगी।

***

नीलामी के लिए अधिसूचित किए गए महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों का बयौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	राज्य	सामग्री	एमएल/सीएल
1	चुटिया-नौहट्टा ग्लौकोनाइट ब्लॉक	बिहार	ग्लौकोनाइट	सीएल
2	पिपराडीह-भुरवा ग्लौकोनाइट ब्लॉक	बिहार	ग्लौकोनाइट	सीएल
3	जेनजाना निकल, क्रोमियम और पीजीई ब्लॉक	बिहार	निकल, क्रोमियम और पीजीई	सीएल
4	कुंडोल निकल और क्रोमियम ब्लॉक	गुजरात	निकल एवं क्रोमियम	सीएल
5	मुस्कनिया-गड़ेरियाटोला-बरवारी पोटाश ब्लॉक	झारखण्ड	पोटाश	सीएल
6	दुधियासोल ईस्ट निकल और कॉपर ब्लॉक	ओडिशा	निकल और तांबा	एमएल
7	बबजा ग्रेफाइट और मैंगनीज ब्लॉक	ओडिशा	ग्रेफाइट और मैंगनीज	एमएल
8	बियरापल्ली ग्रेफाइट और मैंगनीज ब्लॉक	ओडिशा	ग्रेफाइट और मैंगनीज	एमएल
9	अखरकटा ग्रेफाइट ब्लॉक	ओडिशा	ग्रेफाइट	सीएल
10	वेल्लाकल सेंट्रल (सेगमेंट-ए) मोलिब्डेनम ब्लॉक	तमिलनाडु	मोलिब्डेनम	सीएल
11	नोचचिपट्टी मोलिब्डेनम ब्लॉक	तमिलनाडु	मोलिब्डेनम	सीएल
12	वेलमपट्टी नॉर्थ ए एंड बी मोलिब्डेनम ब्लॉक	तमिलनाडु	मोलिब्डेनम	सीएल
13	कुरुन्जाकुलम ग्रेफाइट ब्लॉक	तमिलनाडु	ग्रेफाइट	सीएल
14	इलुप्पाकुडी ग्रेफाइट ब्लॉक	तमिलनाडु	ग्रेफाइट	सीएल
15	मन्नादिपट्टी सेंट्रल मोलिब्डेनम ब्लॉक	तमिलनाडु	मोलिब्डेनम	सीएल

16	मारुदिपट्टी (सेंट्रल) मोलिब्डेनम ब्लॉक	तमिलनाडु	मोलिब्डेनम	एमएल
17	कुरछा ग्लौकोनाइट ब्लॉक	उत्तर प्रदेश	ग्लौकोनाइट	सीएल
18	पहाड़ी कलां-गोरा कलां फॉस्फोराइट ब्लॉक	उत्तर प्रदेश	फॉस्फोराइट	सीएल
19	सलाल-हैम्ना लिथियम, टाइटेनियम और बॉक्साइट (एल्यूमिनस लेटेराइट) ब्लॉक	संघ राज्य क्षेत्र: जम्मू और कश्मीर	लिथियम, टाइटेनियम और बॉक्साइट (एल्यूमिनस लेटेराइट)	सीएल
20	कटघोड़ा लिथियम और आरईई ब्लॉक	छत्तीसगढ़	लिथियम और आरईई	सीएल

***